Digital India
Power To Empower

कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/ 94 /लोसेप्र/जांच/2017 सिंगरौली, दिनांक :- 23/01/2017

कारण बताओ सूचना–पत्र

प्रति,

श्री के.एल. पाण्डेय
सिविल सर्जन,
जिला चिकित्सालय बैढ़न
जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

––00––

मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन के पत्र क्र. 394/मु.स./2016, भोपाल दिनांक 28 अक्टूबर 2016 के अनुसार कलेक्टर/ अपर कलेक्टर द्वारा अस्पताल में दवाईयों का सत्यापन करने के निर्देश हैं। उपरोक्त निर्देश के परिपालन में अपर कलेक्टर द्वारा अस्पताल का निरीक्षण करने पर आपके द्वारा बताया गया कि स्टाक रजिस्टर उपलब्ध नही हैं।

जिला अस्पताल के बारे में यह भी जनचर्चा हैं कि अस्पताल में दवाईयां भौतिक रूप से प्राप्त नही की गई एवं उनके फर्जी बिल लगाये गये हैं, जिला अस्पताल के बारे में गंभीर शिकायतें प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर के अध्यक्षता में दिनांक 21.11.2016 को आदेश क्र./940/लोसेप्र./निर्देश/2016 से जांच/सत्यापन समिति गठित की गई। इस जांच समिति द्वारा आपसे स्टाक रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख चाहे गये, किंतु आपके द्वारा उपलब्ध नही कराये गये। आपको कार्यालयीन पत्र क्र./80/लोसेप्र./निर्देश/2017, दिनांक 16.01.2017 द्वारा भी निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, किंतु आपके द्वारा उक्त जानकारी भी जांचदल को उपलब्ध नही कराई गई। आपके द्वारा अंत में दिनांक 09.01.2017 को सायंकाल 7.00 बजे स्टाक रजिस्टर उपलब्ध कराये गये, एवं उसके उपरांत जांच दल को व्हाउचर भी दिखाये गये।

जांचदल द्वारा निम्नलिखित गंभीर अनियमितताएं पाई गई:–

1. वित्तीय वर्ष 2013–14 में मेडिसीन मद 34–002 में आपको कुल रू. 6239700/– का आवंटन ट्रेजरी सर्वर में प्राप्त हुआ था। इस वित्तीय वर्ष में ट्रेजरी से आपके द्वारा कुल रू. 5357222/– आहरित किये गये। उपलब्ध व्हाउचर अनुसार इस मद में कुल 5201724/– की राशि व्यय हुई हैं। आपके द्वारा रू. 155498/– की राशि का व्हाउचर उपलब्ध नही कराया गया हैं। उक्त राशि के व्यय का व्हाउचर आपके कार्यालय में भी उपलब्ध नही हैं। उक्त राशि से प्राप्त सामग्री आपके स्टाक रजिस्टर में भी दर्ज नही हैं। इससे स्पष्ट हैं कि आपके द्वारा रू. 155498/– का गबन किया गया हैं। अनुलग्नक क्रमांक–1

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 में मेडिसीन मद 34–002 में आपको कुल रू. 8034007/– का आवंटन ट्रेजरी सर्वर में प्राप्त हुआ था। इस वित्तीय वर्ष में ट्रेजरी से आपके द्वारा कुल रू.

24-1-17

4760335/– आहरित किये गये। उपलब्ध व्हाउचर अनुसार इस मद में कुल 4717769/– की राशि व्यय हुई हैं। आपके द्वारा रू. 42566/– की राशि का व्हाउचर उपलब्ध नही कराया गया हैं। उक्त राशि के व्यय का व्हाउचर आपके कार्यालय में भी उपलब्ध नही हैं। उक्त राशि से प्राप्त सामग्री आपके स्टाक रजिस्टर में भी दर्ज नही हैं। इससे स्पष्ट हैं कि आपके द्वारा रू. 42566/– का गबन किया गया हैं। अनुलग्नक क्रमांक–2

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 में मेडिसीन मद 34–002 में आपको कुल रू. 8790781/– का आवंटन ट्रेजरी सर्वर में प्राप्त हुआ था। इस वित्तीय वर्ष में ट्रेजरी से आपके द्वारा कुल रू. 8586275/– आहरित किये गये। उपलब्ध व्हाउचर अनुसार इस मद में कुल 2952575/– की राशि व्यय हुई हैं। आपके द्वारा रू. 5633700/– की राशि का व्हाउचर उपलब्ध नही कराया गया हैं। उक्त राशि के व्यय का व्हाउचर आपके कार्यालय में भी उपलब्ध नही हैं। उक्त राशि से प्राप्त सामग्री आपके स्टाक रजिस्टर में भी दर्ज नही हैं। इससे स्पष्ट हैं कि आपके द्वारा रू. 5633700/– का गबन किया गया हैं। अनुलग्नक क्रमांक–3

4. वित्तीय वर्ष 2016–17 में मेडिसीन मद 34–002 में आपको कुल रू. 7822959/– का आवंटन ट्रेजरी सर्वर में प्राप्त हुआ था। इस वित्तीय वर्ष में ट्रेजरी से आपके द्वारा कुल रू. 7102478/– आहरित किये गये। उपलब्ध व्हाउचर अनुसार इस मद में कुल 6267807/– की राशि व्यय हुई हैं। आपके द्वारा रू. 834671/– की राशि का व्हाउचर उपलब्ध नही कराया गया हैं। उक्त राशि के व्यय का व्हाउचर आपके कार्यालय में भी उपलब्ध नही हैं। उक्त राशि से प्राप्त सामग्री आपके स्टाक रजिस्टर में भी दर्ज नही हैं। इससे स्पष्ट हैं कि आपके द्वारा रू. 834671/– का गबन किया गया हैं। अनुलग्नक क्रमांक–4

5. जांच दल द्वारा औषधि भण्डार कक्ष में उपलब्ध औषधि में से 47 दवाओं के स्टाक का मिलान स्टाक रजिस्टर से किया गया एवं उक्त दवाओं का भौतिक सत्यापन किया गया, भौतिक सत्यापन करने पर कुल 708429 दवाईयां कम पाई गई, जिनका मूल्य राशि रू. 2925599/– होता हैं। इससे स्पष्ट हैं कि आपके द्वारा 708429 दवाईयों का फर्जी देयक तैयार कर राशि रू. 2925599/– का आहरण कर गबन किया गया हैं। अनुलग्नक क्रमांक–5

6. आपके द्वारा राशि रू. 1511281/– के 40 फर्जी व्हाउचर तैयार किये गये, इन 40 फर्जी व्हाउचर को तैयार कर आपने राशि रू. 1511281/– आहरित कर गबन किया। उक्त 40 व्हाउचर मौके पर पाये गये किंतु उनकी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में नही हैं, और ना ही मौके पर उपलब्ध हैं। अनुलग्नक क्रमांक–6

7. आपके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मेला/शिविर इत्यादि में 286155 दवाईयां भेजना बताकर राशि रू. 720333/– का गबन किया गया। आप जानते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवाईयां सीएमएचओ ऑफिस से भेजी जाती हैं। अनुलग्नक क्रमांक–7

8. आपके द्वारा वार्ड/शाखा को कुल 448947 दवाईयां इश्यू करना बताया गया, किंतु वार्ड/शाखा के अभिलेख अनुसार वास्तव में उनको 173712 दवाईयां प्राप्त हुई हैं। आपके द्वारा 275235 दवाईयों का फर्जी वितरण बताया गया, जिनका मूल्य राशि रू. 548612/– हैं। अनुलग्नक क्रमांक–8

9. आपके द्वारा स्टाक रजिस्टर में 212393 दवाईओं को इश्यू करना बताया उसके बाद उन्हें स्टाक रजिस्टर में कांट दिया गया, अर्थात् इश्यू करना निरस्त कर दिया गया। किंतु स्टाक

रजिस्टर में बैलेन्स शून्य कर दिया गया। उक्त दवाईयां औषधि भण्डार कक्ष में भी भौतिक सत्यापन के दौरान नही पाई गई। इस प्रकार आपके द्वारा 212393 दवाईओं का फर्जी इश्यू दिखाकर, इश्यू दिखाने के बाद कांट कर/अपठनीय बनाकर अभिलेख में बैलेन्स शून्य दिखाकर एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रू. 588327/– का गबन किया गया।

अनुलग्नक क्रमांक–9

इस प्रकार आंशिक जांच में उपरोक्त विवरण अनुसार राशि रू. 12960587/– (एक करोड़ उन्तीस लाख साठ हजार पांच सौ सतासी) का गबन किया गया। उक्त गबन करने के लिये दस्तावेजों की कूट रचना भी की गई एवं अभिलेख मे हेराफेरी की गई। आपके द्वारा जांच दल को क्रय की नस्ती का अवलोकन भी नही कराया गया, आपने जांच दल को यह भी नही बताया कि किस सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से क्रय किया गया, आपने भुगतान किये गये व्हाउचर के अनुमोदन की नस्ती भी जांच दल को उपलब्ध नही कराई। आपके द्वारा उक्त गबन के अलावा जो अन्य क्रय किया गया हैं उसमें भी भण्डार क्रय नियमों का पालन नही किया गया।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता हैं। अतः इस कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के 07 सप्ताह के भीतर कारण बतावें कि क्यों न आपको निलंबित कर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित की जाय एवं उक्त राशि रू. 12960587/– (एक करोड़ उन्तीस लाख साठ हजार पांच सौ सतासी) को गबन करने, फर्जी आहरण करने, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने एवं अभिलेख में हेराफेरी आदि के लिये एफ.आई.आर. दर्ज की जावे।

कलेक्टर
जिला–सिंगरौली (म.प्र.)